प्रारंभिक परीक्षा

फ़ोन-टैपिंग पर कानून और दो उच्च न्यायालय के फैसले

संदर्भ

महत्वपूर्ण संवैधानिक निहितार्थ वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा जारी 2011 के फोन टैपिंग आदेश को रद्द कर दिया है।

निर्णय अवलोकन -

- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निगरानी ने **अनुच्छेद 21 - निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है**, क्योंकि यह "सार्वजनिक आपातकाल" या "सार्वजनिक सुरक्षा" पर आधारित नहीं थी।
- यह निर्णय पीयूसीएल (1997) और पुट्टस्वामी (2017) के न्यायशास्त्र को मजबूत करता है।

कानूनी ढांचा -

1. **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885**
    - **धारा 5(2):** केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में संदेशों को रोकने या निगरानी की अनुमति देती है।
    - **अवरोधन या निगरानी आधार अनुच्छेद-19(2) के अनुरूप होने चाहिए**: संप्रभुता, राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आदि।
2. **भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951**
    - **नियम 419-A:**
        - अत्यावश्यक मामलों में गृह सचिव (केन्द्र/राज्य) या संयुक्त सचिव से नीचे के अधिकारी द्वारा अनुज्ञा।
        - दो माह के भीतर समीक्षा समिति द्वारा अनिवार्य समीक्षा।
        - 60 दिनों तक वैध है, जिसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
3. **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल संचार (जैसे ईमेल, व्हाट्सएप) को नियंत्रित करता है।

ऐतिहासिक निर्णय -

- **पीयूसीएल बनाम भारत संघ (1997)**:
    - फोन टैपिंग के लिए प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए।
    - केवल वरिष्ठ अधिकारी ही अनुमोदन कर सकते हैं।
    - समीक्षा समिति का निरीक्षण अनिवार्य है।
- **के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):** अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

हाल ही में उच्च न्यायालय के फैसले (2025) -

1. दिल्ली उच्च न्यायालय (26 जून, 2025)

- ₹2,149 करोड़ के ITPO भ्रष्टाचार मामले में **CBI द्वारा आदेशित टेलीफोन टैपिंग को न्यायालय ने वैध ठहराया**।
- यह माना गया कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए अवरोधन को उचित ठहराया गया।

2. मद्रास उच्च न्यायालय (2 जुलाई, 2025)

- 50 लाख रुपए की रिश्वत मामले में गृह मंत्रालय के 2011 के फोन टैपिंग आदेश को रद्द कर दिया गया।
- **कारण:**
    - धारा-5(2) के अनुसार कोई "सार्वजनिक आपातकाल" या "सार्वजनिक सुरक्षा" नहीं।

  - समीक्षा समिति की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- **इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि गुप्त निगरानी का उपयोग सामान्य अपराध का पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता।**

प्रमुख सुरक्षा उपाय और प्रक्रियागत आवश्यकताएँ -

- अवरोधन अथवा निगरानी आनुपातिक, आवश्यक और कानूनी रूप से न्यायोचित होनी चाहिए।
- समीक्षा समिति को प्रत्येक अवरोधन आदेश की जांच करनी होगी।
- अवैध रूप से प्राप्त टैपिंग से प्राप्त कोई भी साक्ष्य न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है।
- समय-समय पर डेटा नष्ट करने और जवाबदेही के उपाय आवश्यक हैं।

स्रोत: **इंडियनएक्सप्रेस**

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

संदर्भ

CAQM दिल्ली सरकार की उस अपील की समीक्षा कर रहा है जिसमें पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को तकनीकी खामियों और जनसाधारण को हो रही असुविधा के चलते निलंबित करने की मांग की गई है।

CAQM के बारे में -

- **स्थापना:**
  - NCR और आसपास के क्षेत्रों में **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021** के तहत स्थापित वैधानिक निकाय।
  - **क्षेत्राधिकार**: दिल्ली-NCR और आसपास के क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश)।
- **अधिदेश एवं कार्य:**
  - बेहतर समन्वय, अनुसंधान, निगरानी और समाधान सुनिश्चित करना।
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक(AQI) में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
  - केंद्र सरकार, दिल्ली और पड़ोसी राज्य सरकारों के बीच कार्यों का समन्वय करना।
- **शक्तियां और अधिकार:**
  - वायु प्रदूषण में योगदान देने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
  - निम्नलिखित के लिए सशक्त:
    - वायु प्रदूषण पर जांच और अनुसंधान करना।
    - प्रदूषण नियंत्रण के लिए नियम, नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करना।
    - निरीक्षण, विनियमन और अनुपालन पर बाध्यकारी निर्देश जारी करना।
  - आदेश और निर्देश व्यक्तियों, अधिकारियों और प्राधिकारियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।
  - सीधे संसद के प्रति जवाबदेह
- **संघटन**:
  - **अध्यक्ष**: वरिष्ठ सरकारी अधिकारी (सचिव/मुख्य सचिव स्तर)
  - **कार्यकाल**: 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
  - **पांच पदेन सदस्य**: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव/पर्यावरण सचिव।
  - तीन पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य
  - पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले तीन गैर सरकारी संगठन सदस्य।
  - **तकनीकी विशेषज्ञ**:
    - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)
    - भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
    - नीति आयोग

स्रोत: इंडियनएक्सप्रेस

चकमा और हाजोंग समुदाय

संदर्भ

एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों को चकमा-हाजोंग समुदायों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के फैसले का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी है, साथ ही निर्वासन और भूमि रिकॉर्ड की समीक्षा के लिए नए सिरे से आह्वान किया है।

चकमा और हाजोंग समुदाय कौन हैं?

- **चकमा मुख्यतः बौद्ध हैं, जबकि हाजोंग हिन्दू हैं।**
- **मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र से।**
- 1960 के दशक के प्रारंभ में निम्नलिखित कारणों से भारत भाग आये:
    - काप्ताई बांध परियोजना से विस्थापन
    - पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का धार्मिक उत्पीड़न
- भारत सरकार ने 1964-1969 के बीच उनमें से 14,000 से अधिक लोगों को अरुणाचल प्रदेश (तत्कालीन नेफा - नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी) में पुनर्स्थापित किया।
- **अनुमानित जनसंख्या: 65,000+**, मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में।

1996 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (एनएचआरसी बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य)

- राज्य सरकार को प्रत्येक चकमा और हाजोंग व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।
- स्थानीय समूहों या निकायों द्वारा जारी किसी भी प्रकार की धमकी, बेदखली नोटिस या हिंसा गैरकानूनी है।
- न्यायालय ने कहा कि AAPSU जैसे समूहों द्वारा जारी "छोड़ने के नोटिस" जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे के बराबर हैं और इनसे कानून के तहत सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
- केंद्र और राज्य को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(a) (1987 से पहले भारत में जन्म के आधार पर प्राकृतिककरण) के तहत चकमा-हाजोंग के नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

विवाद और स्थानीय विरोध

- अरुणाचल प्रदेश के कई जनजातीय समूहों, विशेषकर AAPSU ने चकमा-हाजोंग समुदायों के स्थायी बसावट का विरोध किया है।
- चिंताएं इस प्रकार हैं:
    - जनसांख्यिकीय परिवर्तन
    - भूमि और संसाधनों पर दबाव
    - अनुच्छेद 371(H) के तहत जनजातीय पहचान और अधिकारों का नुकसान
- निर्वासन या राज्य से बाहर स्थानांतरण की मांग अक्सर उठाई जाती है।

कानूनी और संवैधानिक आयाम

- अनुच्छेद 21 – जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार केवल नागरिकों पर ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों पर लागू होता है।
- न्यायालय की अवमानना - सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर अवमानना का आरोप लग सकता है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 - वे दीर्घकालिक निवास के कारण कुछ प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।
- मानवाधिकार दायित्व - भारत उन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का पक्षकार है जो राज्यविहीनता और जबरन बेदखली पर रोक लगाते हैं।

स्रोत: द हिंदू

वेरा सी रुबिन वेधशाला(Vera C Rubin Observatory)

संदर्भ

चिली स्थित वेरा सी. रुबिन वेधशाला ने अपनी पहली परीक्षण छवियाँ (test images) जारी की हैं, जो इसकी क्षमताओं को दर्शाती हैं — जैसे कि यह हर रात लाखों खगोलीय घटनाओं को कैद करने, क्षुद्रग्रहों को ट्रैक करने और डार्क मैटर के संकेतों का पता लगाने में खगोल विज्ञान (astronomy) में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

वेरा सी. रुबिन वेधशाला -

- **यह एक अत्याधुनिक खगोलीय वेधशाला है जो चिली के एंडीज में सेरो पचोन पर्वत पर 8,684 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।**
- इसका लक्ष्य ब्रह्मांड का सबसे विस्तृत गतिशील मानचित्र बनाना है।
- अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DOE) और राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (**NSF**) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित।
- **मुख्य उद्देश्य**:
    - 10 वर्षों तक हर 3 दिन में सम्पूर्ण दक्षिणी आकाश का मानचित्र बनाना।
    - ब्रह्मांडीय परिवर्तनों पर नज़र रखने के लिए ब्रह्मांड का गतिशील रिकॉर्ड बनाना।
    - पृथ्वी के निकट स्थित वस्तुओं (NEO) पर नज़र रखना और संभावित क्षुद्रग्रह खतरों की पहचान करें।
    - डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर उच्च परिशुद्धता अध्ययन आयोजित करना।
    - शोधकर्ताओं और वैश्विक जनता को खुली पहुंच वाला डेटा उपलब्ध कराना।

प्रमुख विशेषताएं -

- **विस्तृत दृश्य क्षेत्र**
    - एक ही इमेज में 40 पूर्ण चन्द्रमाओं के बराबर क्षेत्र को कैप्चर करता है।
    - हबल और जेम्स वेब दूरबीनों की तुलना में यह अधिक व्यापक आकाश कवरेज प्रदान करता है।
- **दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा**
    - 3,200 मेगापिक्सेल रिज़ॉल्यूशन
    - इसका वजन 2,800 किलोग्राम (एक छोटी कार के आकार जितना) है।
    - दृश्य प्रकाश की तुलना में 100 मिलियन गुना कम मंद वस्तुओं का पता लगाता है।
    - व्यापक विश्लेषण के लिए छह स्पेक्ट्रल फिल्टर (यूवी से इन्फ्रारेड) का उपयोग करता है।
- **तीव्र गति और इमेजिंग**
    - टेलेस्कोप सिर्फ 5 सेकंड में लक्ष्यों के बीच चक्कर लगाता है।
    - प्रति रात्रि 1,000 इमेज लेने में सक्षम।
    - 72 घंटे में पूर्ण आकाश स्कैन पूरा करता है।
- **स्वचालित पहचान सॉफ्टवेयर**
    - इमेज डेटा की तुलना करके प्रति रात्रि 10 मिलियन तक अलर्ट उत्पन्न करता है।
    - परीक्षण के दौरान केवल 10 घंटों में 2,100 से अधिक नए क्षुद्रग्रहों का पता लगाया गया।
- **विशाल डेटा आउटपुट**
    - प्रतिदिन 20 टेराबाइट डेटा उत्पन्न करता है।
    - अगले दशक में निम्नलिखित का पता लगाने और सूचीबद्ध करने की उम्मीद है:
        - 5 मिलियन से अधिक क्षुद्रग्रह
        - 100,000+ नियो

वैज्ञानिक महत्व -

- **डार्क मैटर और कॉस्मिक संरचना:** गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और आकाशगंगा वितरण का अध्ययन करने के लिए ब्रह्मांड के विस्तृत 3D मानचित्र बनाता है।

- **ग्रहीय रक्षा:** NEOs का शीघ्र पता लगाने में सहायता करता है, तथा पृथ्वी की क्षुद्रग्रह रक्षा प्रणालियों में सुधार करता है।
- **खगोलभौतिकीय खोजें -**
    - निम्नलिखित को समझने में सफलता का समर्थन करता है:
        - आकाशगंगा निर्माण
        - ब्रह्मांडीय विकास
        - ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत

स्रोत: **इंडियनएक्सप्रेस**

हाल ही में समाचार में

17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

- **17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया।**
  - **विषय**: अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना।
  - **इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हो गया,** जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान का ब्रिक्स भागीदार देशों के रूप में स्वागत किया गया।
  - **भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।**

MSME में महिलाएं -

- **भागीदारी:**

Chart 1: The share of women-led MSMEs, share of women employed in MSMEs, share of investment attracted by women-led MSMEs and share of turnover of women-led MSMEs

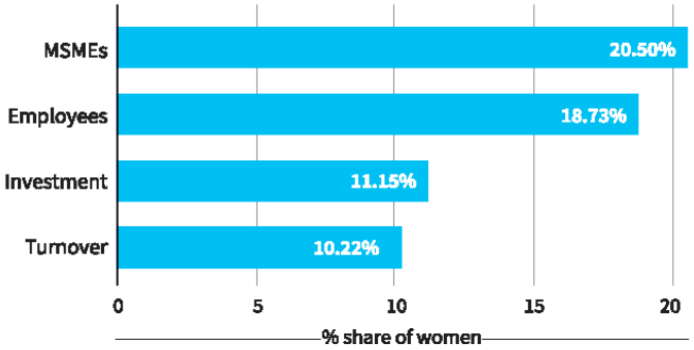

  - **महिला स्वामित्व वाली MSME**: भारत में पंजीकृत सभी MSME में से लगभग 20% महिलाओं के स्वामित्व वाली हैं।
    - कुल MSME कारोबार में योगदान: ~10%
    - कुल MSME क्षेत्र निवेश में हिस्सेदारी: 11–15%
- **ऋण तक पहुंच:**

Chart 2: The credit gap across genders. Credit gap refers to the difference between the amount of credit requested by the borrower and the amount actually received

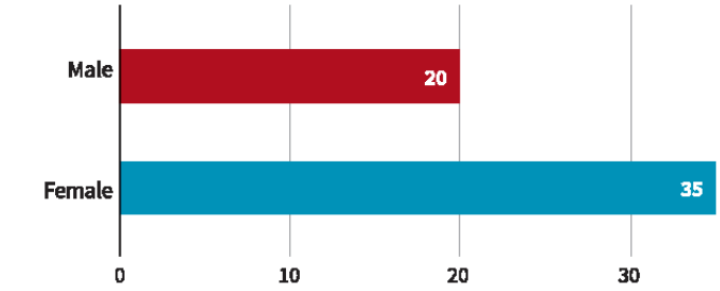

  - **ऋण अंतराल:** महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME का ऋण अंतराल लगभग 35% है (अर्थात् उनकी एक तिहाई से अधिक वित्तीय आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं)।
    - **पुरुष-नेतृत्व वाले MSME:** लगभग 20% का ऋण अंतराल।
    - **कारण**:
      - कम संपार्श्विक/संपत्ति स्वामित्व, वित्तीय निरक्षरता, और ऋण देने में पूर्वाग्रह।

- बैंकों द्वारा महिलाओं को प्रायः अधिक जोखिमपूर्ण उधारकर्ता माना जाता है।

- **सरकारी योजनाएं और प्रभाव:**
  - **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** PMMY ऋण खातों में लगभग 64% खाते महिलाओं के पास हैं।
    - हालाँकि, उन्हें कुल स्वीकृत ऋण राशि का केवल ~41% ही प्राप्त होता है।
  - **उद्यम सहायता पोर्टल:** 2024 में 1.86 करोड़ से अधिक **अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम** (**IME**) पंजीकृत है।
    - पंजीकृत **IME** में 70.5% हिस्सेदारी महिलाओं की है।
    - महिलाओं के नेतृत्व वाली **IME** ने इस क्षेत्र में 70.8% रोजगार सृजित किया।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामला – सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट ने एमएस गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त 1977 के फैसले का हवाला दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार हैं, लेकिन वह मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता।
- इसकी कार्यवाही निष्पक्ष होनी चाहिए और न्यायिक समीक्षा के अधीन होनी चाहिए - ताकि चुनाव आयोग को "संवैधानिक तानाशाह" बनने से रोका जा सके।

संपादकीय सारांश

मातृ मृत्यु रोकने के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना

संदर्भ

भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में गिरावट आ रही है, लेकिन ऐसे राज्य हैं जिन्हें बुनियादी और प्रणालीगत मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में मातृ देखभाल की चुनौतियाँ -

- **तीन विलंब मॉडल:** जटिलताओं को पहचानने और देखभाल प्राप्त करने में देरी (कम जागरूकता, वित्तीय मुद्दों, सामाजिक वर्जनाओं के कारण)।
    - स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने में देरी (खराब सड़कें, दूरदराज के क्षेत्र, एम्बुलेंस की कमी)।
    - सुविधा में पर्याप्त देखभाल प्राप्त करने में देरी (कर्मचारियों की कमी, रक्त बैंकों की कमी, रेफरल में देरी)।
- **प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी:** विशेषज्ञों (प्रसूति रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ) के लिए उच्च रिक्तियां, विशेष रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) में।
    - **उदाहरण के लिए**, 5,491 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों के 66% पद रिक्त हैं।
- **एनीमिया और कुपोषण:** गर्भवती महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा एनीमिया या कुपोषित है, जिससे जटिलताओं और मातृ मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
    - **उदाहरण के लिए**, एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार, भारत में 50% से अधिक गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं।
- **घरेलू प्रसव और असुरक्षित गर्भपात:** प्रगति के बावजूद, अभी भी कुछ प्रसव अप्रशिक्षित प्रसव सहायकों द्वारा घर पर ही होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सेप्सिस, आघात और मृत्यु दर में वृद्धि होती है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक बाधाएं:** कम उम्र में विवाह, निम्न शिक्षा स्तर, गरीबी और लैंगिक असमानता समय पर और सुरक्षित मातृ देखभाल में बाधा डालती हैं।
- **अप्रभावी मातृ मृत्यु लेखा परीक्षा:** कई राज्यों में मातृ मृत्यु की अनिवार्य रिपोर्टिंग और लेखा परीक्षा का कमजोर कार्यान्वयन प्रणालीगत सुधार को सीमित करता है।

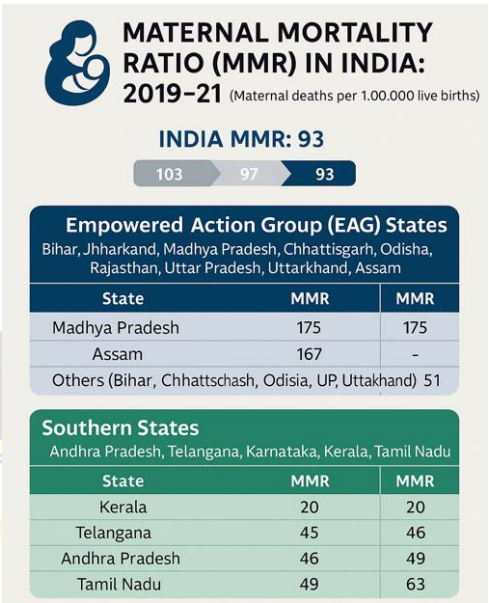

मातृत्व देखभाल से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल			
पहल	**शुरू**	**मुख्य सकेंद्रित**	**प्रमुख विशेषताएं**
जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)	**2005**	**संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना**	**स्वास्थ्य सुविधाओं पर प्रसव कराने के लिए माताओं और आशा कार्यकर्ताओं को नकद प्रोत्साहन**
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)	2011	निःशुल्क मातृत्व एवं नवजात शिशु देखभाल	निःशुल्क प्रसव (सी-सेक्शन सहित), दवाइयां, निदान, आहार, रक्त, तथा

			मां एवं नवजात शिशु के लिए परिवहन
पीएमएसएमए (प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान)	2016	गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल	हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क विशेषज्ञ ए.एन.सी.; जोखिम का शीघ्र पता लगाने पर ध्यान केन्द्रित करना
लक्ष्य	2017	प्रसव कक्ष की गुणवत्ता में सुधार	प्रसव कक्षों, प्रसूति ऑपरेशन थियेटरों का उन्नयन, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, गुणवत्ता आश्वासन
सुमन (सुरक्षित मातृत्व आश्वासन)	2019	सम्मानजनक, सुनिश्चित मातृ-नवजात सेवाएं	शून्य व्यय, सम्मानजनक, गुणवत्तापूर्ण देखभाल; शिकायत निवारण; सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को कवर करता है
एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी)	2018	महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को कम करना	**6×6×6 रणनीति**: आईएफए, कृमि मुक्ति, सुदृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ, परीक्षण, व्यवहार परिवर्तन, गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान

आगे की राह -

- **तीन विलंब मॉडल प्रतिक्रिया को मजबूत करना:** मातृ खतरे के संकेतों और संस्थागत प्रसव के महत्व पर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना।
    - समय पर रेफरल और पहुंच के लिए वित्तीय और परिवहन प्रोत्साहन का विस्तार करना।
    - आपातकालीन स्थितियों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल के साथ, सुविधाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया और प्राथमिक उपचार सुनिश्चित करना।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश बढ़ाना:** सभी एफआरयू/सीएचसी में प्रसूति विशेषज्ञों, एनेस्थेटिस्ट और स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों को भरना।
    - जिला एवं उप-जिला स्तर पर ऑपरेशन थियेटर, ब्लड बैंक और गहन देखभाल इकाइयों को उन्नत करना।
- **मातृ मृत्यु लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार:** प्रत्येक मातृ मृत्यु की अनिवार्य, गोपनीय समीक्षा (जैसे, केरल मॉडल), जवाबदेही और अनुवर्ती कार्रवाई के साथ।

केरल मॉडल: प्रत्येक मातृ मृत्यु की रिपोर्ट करना और उसकी समीक्षा करना अनिवार्य है, चाहे कारण या स्थान (अस्पताल या घर) कुछ भी हो। सभी मामलों की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर की जाती है।

- **पोषण और एनीमिया नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना:** किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) अनुपूरण, पोषण परामर्श और समुदाय-आधारित हस्तक्षेप को मजबूत करना।
- **अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं और महिला समूहों को सशक्त बनाना:** सामुदायिक लामबंदी और समर्थन के लिए आशा, एएनएम और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देना जारी रखना।

स्रोत: द हिंदू

भारत के तटीय समुदायों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

संदर्भ

जलवायु परिवर्तन भारत के तटीय समुदायों को गहरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से प्रभावित कर रहा है।

जलवायु परिवर्तन भारत के तटीय समुदायों को कैसे प्रभावित कर रहा है -

- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - **समुद्र स्तर में वृद्धि:** गांवों का निगलना (जैसे, ओडिशा में सतभाया), बाढ़, स्थायी भूमि हानि।
  - **खारे पानी का अतिक्रमण:** मिट्टी और मीठे पानी को दूषित करता है, जिससे कृषि उत्पादकता कम हो जाती है।
  - **पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण:** मैंग्रोव, आर्द्रभूमि और रेत के टीलों के नष्ट होने से प्राकृतिक तटीय सुरक्षा कम हो जाती है।
  - **चरम मौसम की घटनाएँ:** चक्रवातों, तूफानों और बाढ़ की बढ़ती घटनाओं के कारण बार-बार विस्थापन होता है।
- **सामाजिक-आर्थिक और आजीविका प्रभाव:**
  - **विस्थापन:** घर और आजीविका के साधन खत्म हो जाने के कारण हजारों लोग पलायन को मजबूर हो गए।
  - **पारंपरिक आजीविका का नुकसान:** संसाधनों के क्षरण के कारण कृषि और मछली पकड़ना अलाभकारी हो गया है।
  - **शहरी प्रवास:** विस्थापित परिवार अनिश्चित, अनौपचारिक शहरी श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं।
  - **सामुदायिक विघटन:** सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो जाती है।

तटीय समुदायों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ -

- **आजीविका असुरक्षा**
  - **पारंपरिक आजीविका का नुकसान:** तटीय समुदाय लंबे समय से मछली पकड़ने, खेती और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर रहे हैं। बढ़ते समुद्री स्तर और खारे पानी के घुसपैठ ने उपजाऊ कृषि भूमि और मछली पकड़ने के क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है।
    - **उदाहरण:** ओडिशा के सतभैया में समुद्री जल ने गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है तथा खेतों और तालाबों को बर्बाद कर दिया है, जिससे परिवारों को खेती और मछली पकड़ने का काम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।
  - **शहरी प्रवास और नौकरी की असुरक्षा:** विस्थापित परिवार अक्सर शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन उनके पास विपणन योग्य कौशल और दस्तावेज का अभाव होता है, जिसके कारण वे निर्माण श्रमिक, घरेलू काम या ईंट भट्टों जैसी अनौपचारिक, अस्थिर नौकरियों में काम करने को मजबूर हो जाते हैं।
    - **उदाहरण:** कर्नाटक के होन्नावर या तमिलनाडु के नागपट्टिनम के मछुआरे अब बेंगलुरु और चेन्नई में दैनिक मजदूर के रूप में काम करते देखे जाते हैं।
- **कानूनी और नीतिगत अंतराल:**
  - **जलवायु प्रवासियों के लिए कोई कानूनी मान्यता नहीं:** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना जैसे मौजूदा ढांचे, जिसमें कमजोर सीआरजेड 2019 भी शामिल है, विस्थापन के सामाजिक-आर्थिक आयामों को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखे बिना, आपदा प्रतिक्रिया या पर्यावरण संरक्षण तक सीमित हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** CRZ 2019 सामुदायिक अधिकारों पर वाणिज्यिक हितों को प्राथमिकता देता है।
  - **सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा उपायों का अभाव:** जलवायु प्रवासियों के लिए अच्छे काम, आवास, शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल की कोई कानूनी गारंटी नहीं है।

        - **श्रम संहिताएं** (जैसे भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996) जलवायु-विस्थापित श्रमिकों को विशिष्ट सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं।
    - **कमजोर पुनर्वास:** पुनर्वास कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं और स्थायी आजीविका विकल्पों का अभाव है।
    - **पर्यावरणीय न्याय का कमजोर प्रवर्तन:** सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (जैसे एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ) पर्यावरणीय अधिकारों को मान्यता देते हैं, लेकिन जलवायु प्रवासियों के लिए व्यावहारिक सुरक्षा में इसे लागू करने के लिए कोई मजबूत ढांचा नहीं है।
- **पर्यावरण अन्याय:**
    - **सामुदायिक सहमति का अभाव:** बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं अक्सर कानूनी आवश्यकताओं के बावजूद स्थानीय समुदायों की वास्तविक, सूचित सहमति के बिना आगे बढ़ती हैं।
        - **उदाहरण:** गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मछुआरा समुदायों ने बंदरगाह और औद्योगिक विकास के कारण पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदानों तक पहुंच खत्म होने का विरोध किया है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित रहा है।
    - **पर्यावरण रक्षकों का दमन:** जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शनों (जैसे तमिलनाडु में एन्नोर क्रीक आंदोलन या केरल में पट्टुवम) को पुलिस की धमकी, कानूनी उत्पीड़न और आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिससे सामुदायिक सक्रियता हतोत्साहित होती है।

क्या किया जा सकता है -

- **कानूनी और नीतिगत सुधार:** कानून और नीति में जलवायु-प्रेरित प्रवासियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और संरक्षित किया जाएगा।
    - जलवायु प्रवासियों को कार्यस्थल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करना।
    - व्यावसायिक विकास की तुलना में पारिस्थितिक स्थिरता और सामुदायिक अधिकारों को प्राथमिकता दें।
- **आजीविका और सामाजिक सुरक्षा:** विस्थापित तटीय आबादी के लिए नए कौशल कार्यक्रम पेश करना।
    - शहरों में प्रवासियों के लिए आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और काम तक पहुंच की गारंटी।
    - जोखिमग्रस्त परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण, बीमा और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत बनाना।
- **सहभागी एवं समुदाय-नेतृत्व अनुकूलन:** तटीय क्षेत्र प्रबंधन और पुनर्वास योजना में समुदायों को शामिल करें।
    - प्राकृतिक अवरोधों के रूप में मैंग्रोव, आर्द्रभूमि और रेत के टीलों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना।
    - पर्यावरण रक्षकों की सुरक्षा करें और स्थानीय, टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा दें।
- **जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा:** जलवायु लचीलापन को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास कॉलोनियों का डिजाइन तैयार करना।

स्रोत: द हिंदू